राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखण्ड

के

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :—

(The rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions.)

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तराखण्ड तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय—समय पर जो अधिनियम, नियमावली, मैनुअल, वित्तोय नियम संग्रह आदि प्रयोग में उनकी सूची तथा संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

कम	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
सं0		
1	2	3
1-	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन से संबंधित नियमावली।
2-	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—2 भाग 2 से 4	सेवा सम्बन्धित नियमावली। जैसे वेतन निर्धारण, अवकाश से संबंधित नियमावली।
3-	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3	यात्रा भत्ता नियमावली।
4-	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1	लेखा नियमावली, लेखा से संबंधित प्रपत्रों का प्रारूप।
5-	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी०डी०ओ० से जुड़ा हुआ है।
6-	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली, 2004	इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया।
7-	उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2011	इसमे अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तें एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधित नियम।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या— 3

8-	उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005	उपभोक्ता आयोगों में विवादों से संबंधित पत्रावलियाँ का रख—रखाव, फीस, नकल एवं परिवाद दाखिल करने की प्रक्रिया से संबंधित नियम।
9—	उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987	उपभोक्ता आयोग में दाखिल होने वाले विवादों पर प्रभावी शुल्क आदि संबंधित नियम।
10-	उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग और जिला फोरम कर्मचारी सेवा नियमावली, 2012	तृतीय संवर्ग में नियुक्ति एवं पदोन्नति की प्रक्रिया।
11-	उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2016	इसमें जिला आयोग एवं राज्य आयोग के पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधित नियम।
12-	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019	उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समय से और प्रभावी प्रशासन तथा परिनिर्धारण के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।
13-	उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020	राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना संबंधित नियम।
14-	उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग) नियम, 2020	शिकायत दायर करने के लिए शुल्क, मा0 राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग की अतिरिक्त शक्तियां एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधित नियम।
15-	उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता आयोग की प्रक्रिया) विनियम, 2020	उपभोक्ता आयोगों की व्यवस्था, ड्रेस कोड, सुनवाई का समय, मामला सूची, नोटिस जारी करना, स्थगन, न्यायपीठों की सुनवाई, समय—सीमा, पुनर्विलोकन, एकपक्षीय अंतरिम/अंतिम आदेश, अभिलेखों का परीक्षण, प्रमाणित प्रति से संबंधित नियम।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, मैनुअल संख्या— 3

16-	उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2020	राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित नियम।
17-	उत्तराखण्ड उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते, वेतन और भत्ते) नियमावली, 2020	इसमें अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्ते संबंधित नियम।

संबंधित नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति राज्य आयोग के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

टिप्पणी— उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस आशय का प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिनियम/नियम/शासनादेश/प्रक्रिया तब तक लागू रहेगें जब तक ऐसे अधिनियम/नियम/शासनादेश/प्रक्रिया उत्तराखण्ड अलग से संशोधित/प्रख्यापित नहीं करती है।